न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 44/2015

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1. चम्पालाल पुत्र पूसाराम
2. हरिराम पुत्र पूसाराम
   जातियान-सैन,निवासी-सेवरिया,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. कैलाश पुत्र राजूराम
   जाति-डाकोत
2. संतोष पत्नि शिवजीराम
3. सोहनदेवी पत्नि देवाराम
   जातियान-जाट,निवासी-सेवरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
5. तहसीलदार, जैतारण
6. पटवारी, पटवार हल्का-सेवरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 एवं 02 धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू: 16/04/2015

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 17/01/2018**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-सेवरिया, पटवारी हल्का-सेवरिया, तहसील-जैतारण में सायलान की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 4-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। नकल प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2013, संवत् 2014 से 2017, संवत् 2018 से 2020, संवत् 2020 से 2022 तथा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, संवत् 2069 से 2072 तक की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि वक्त सैटलमेन्ट से सायलान की पुश्तैनी कृषि भूमि हैं। सायलान के पिता पुसाराम अनपढ़ व्यक्ति थे और वक्त सैटलमेन्ट से उक्त कृषि भूमि पर काबिज हैं। वक्त सैटलमेन्ट के समय सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा गै0सा0 संख्या 01 कैलाश के पिता का कब्जा नहीं होते हुए भी राजूराम पुत्र चुन्नीलाल डाकोत रास का नाम दर्ज कर दिया। जो गलत एवं रोंग एन्ट्री हैं। सायलान के पिता पुसाराम ने समय-समय पर लगान भर कर बिगोडी की रसीदें प्राप्त करता रहा व उसके मृत्यु के पश्चात् सायलान ने भी राजस्व अधिकारियों को समय - समय पर लगान देकर बिगोडी की रसीदे प्राप्त करते रहे हैं। मौके पर पुसाराम का कब्जा होने की जानकारी राजस्व अधिकारियों को भी थी। पर्चा लगान सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों ने भूल से राजस्व रेकर्ड में गै0सा0 संख्या 01 के पिता राजूराम पुत्र चुन्नीलाल डाकोत का नाम दर्ज कर दिया। जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता हैं। उक्त भूमि में कभी भी गै0सा0 संख्या 01 कैलाश व उसके पिता राजूराम का वक्त सैटलमेन्ट के समय से कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं और आज भी आउट

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ऑफ पजेशन हैं व सायलान का कब्जा काश्त हैं व बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक ऐज ऑफ राईट के उपयोग / उपभोग करते आ रहे हैं। गै0सा0 संख्या 01 कैलाश व उसके पिता राजुराम ने न तो कभी लगान भरा और न ही उनके जमीन रही हैं। उक्त जमीन पर वक्ट सैट्लमेन्ट से सायलान के पिता का कब्जा काश्त था और आज भी मौके पर काबिज हैं। राजस्व अधिकारी लगातार उक्त जमीन सायलान की होते हुए रोंग एन्ट्री करते रहे हैं। जिसकी जानकारी न तो सायलान को थी। उक्त जमीन के कानूनन क्योंकि वक्ट सैट्लमेन्ट के माफिक एक मात्र सायलान व इनके पिता के कब्जे काश्त में हैं और पर्चा लगान वक्ट सैट्लमेन्ट से आज दिन तक लगान भी भरते आये हैं और उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व अधिकारियों की गलती से सैट्लमेन्ट विभाग की त्रुटि से जो रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता हैं। से गै0सा0 संख्या 01 कैलाश मालिक नहीं बन जाता हैं। रोंग एन्ट्री हटवाया जाना आवश्यक हैं। सायलान खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। गै0सा0 संख्या 01 कैलाश ने राजस्व सैट्लमेन्ट के अधिकारियों की गलती से रोंग एन्ट्री के आधार पर उक्त आराजी की कृषि भूमि को बेचान दस्तावेज गै0सा0 संख्या 02 व 03 के नाम बेचान पंजीयन करवाया। जबकि मौके पर गै0सा0 संख्या 01 कैलाश का कब्जा नहीं हैं। और न ही मौके पर कब्जा सुपुर्द किया। न ही गै0सा0 संख्या 02 व 03 का मौके पर कब्जा काश्त हैं। आउट ऑफ पजेशन हैं और गै0सा0 संख्या 4 उप पंजीयन अधिकारी ने बेचान दस्तावेज तकमील करते समय कोई मौके पर कब्जे काश्त बाबत् भौतिक सत्यापन नहीं किया। न ही पडौसीयों के बयान लिये। इसलिये भी गै0सा0 संख्या 01 कैलाश ने गै0सा0 संख्या 02 व 03 के नाम से दिनांक 25/02/2015 को पंजीकृत बेचान किया हैं। इस बेचान को रद्द घोषित किये जाने का आदेश फरमावें। उक्त बेचान सायलान के हितों के विरुद्ध बेअसर हैं एवं शून्य हैं। इसलिये सायलान का मौके पर कब्जा काश्त हैं। इसलिये सायलान खातेदार की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। सायलान का मौके पर कब्जा काश्त हैं और बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग / उपभोग ऐज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। गै0सा0 संख्या 01 कैलाश ने गै0सा0 संख्या 02 व 03 को रोंग एन्ट्री के आधार पर बेचान दस्तावेज तकमील किया हैं। जबकि मौके पर गै0सा0 संख्या 01 से तीन का कब्जा काश्त नहीं हैं। इसलिये रोंग एन्ट्री एवं गलत बेचान दस्तावेज के आधार पर गै0सा0 संख्या 6 हल्का पटवारी सेवरिया ने म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं करें और गै0सा0 संख्या 05 तहसीलदार जैतारण म्यूटेशन खरीददार गै0सा0 संख्या 02 संतोषदेवी व गै0सा0 संख्या 03 सोहनीदेवी के नाम से स्वीकृत नहीं करें और दौराने दावा गै0सा0 संख्या 04 उपपंजीयन अधिकारी के समक्ष फदर बेचान दस्तावेज यदि गै0सा0 संख्या 02 व 03 पेश करें। तो पंजीयन नहीं करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद पत्र के निर्णय तक रोका जावें। इसलिये सायलान ने गै0सा0 के विरुद्ध वाद पत्र बाबत् घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया हैं। जो आज ही नोटिस डिस्पेन्स विद किये जाने का आदेश फरमावें। गै0सा0 संख्या 01 कैलाश ने ऐलानिया धमकी दी कि मैने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी की कृषि भूमि का बेचान गै0सा0 संख्या 02 व 03 को कर दी हैं और यह भी धमकी दी कि लाठी के बल पर बेदखल कर देगें और हाथ टांग तोड देगें। यदि गै0सा0 को गै0सा0 संख्या 01 से 03 द्वारा लाठी के बल पर बेदखल कर दिया गया तो सायलान कानूनी जायज हक हकूकों व मालिकाना अधिकार से वंचित रह जायेगें और

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। सायलान की पुश्तैनी कृषि भूमि हरगिज नहीं जोने देगें और मौके पर खून खच्चर होगा। मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। बार-बार कानूनी कार्यवाही करने से खर्चे से जैर बार होना पडेगा। उक्त आराजी की कृषि भूमि को सायलान कानूनन खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। और उक्त जमीन में काश्त करने से दखलन्दाजी करने से गै0सा0 को रूकवाने के अधिकारी हैं। इसलिये उक्त वाद बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के समक्ष प्रस्तुत हैं। गै0सा0 संख्या 4 उप पंजीयन अधिकारी हैं एवं गै0सा0 संख्या 05 तहसीलदार जैतारण हैं व गै0सा0 संख्या 06 हल्का पटवारी हैं। जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी हैं। जो इनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व में कानूनन दो माह का विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी का देने का मेण्डेटरी प्रावधान हैं। जो उक्त प्रकरण अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हैं। नोटिस देने में समय लगेगा। जब तक प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वीकृति दिलाने का आदेश फरमावें। तथ्य परिस्थितियों व मौके पर सायलान का कब्जा काश्त हैं। इसलिये प्रथम दृष्टिया मामलाल एवं सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में हर दृष्टि कोण से बखूबी साबित हैं। यदि गै0सा0 संख्या 01 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने गलत नमा का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त कृषि भूमि का गै0सा0 संख्या 02 व 03 बेचान कर दी। जो किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण रहन व वसीयत कर देते हैं। तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी एवं रोंग एन्ट्री के आधार पर गै0सा0 सायलान को लाठी के बल पर बेदखल कर दिया। तो सायलान अपने साम्पैतिक हक अधिकारों एवं खातेदारी काश्तकारी अधिकारों से महरूम हो जायेगें एवं सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। व विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी। जिसमें सायलान को खर्चे से जैर बार होना पडेगा। इसकारण से इन सभी परिस्थितियों में सायलान के पक्ष में गै0सा0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना कानूनी रूप से आवश्क हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गै0सा0 श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को तलब किया गया। गै0सा0 के वकील जबाब पेश किया हैं कि सायलान का उक्त आराजी पर कोई हिस्सा हक नहीं हैं। सैटलमेन्ट से सायलान राजस्व अभिलेख के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। खसरा गिरदावरी रेकर्ड आने राईट की तारीफ में नहीं आती हैं। सायलान का पुश्तैनी कब्जा काश्त होना निराधार हैं। वक्त सैटलमेन्ट से गै0सा0 संख्या 01 पिता चुनीलाल के नहीं कब्जा काश्त रहा हैं। पर्चा लगान गै0सा0 के हक में दर्ज हुआ हैं। भूमि का लगान सायलान द्वारा भरे जाने के तथ्य अस्वीकार हैं। गै0सा0 संख्या 01 व 02 का बेचान किया गया हैं। बेचान के समय से गै0सा0 संख्या 01 ने गै0सा0 संख्या 02 व 03 को सौप दिया था। सम्पति हस्तानान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत् विधिक बेचान किया हैं। गै0सा0 संख्या 01 से गै0सा0 संख्या 02 व 03 विधिक बेचान किया गया हैं। इस आराजी पर सायलान किसी तरह का अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। सायलान को किसी तरह की क्षतिपूर्ति होने का कथन मिथ्या हैं। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0सा0 संख्या 01 सैटलमेन्ट से खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व अभिलेख से गै0सा0 संख्या 01 द्वारा गै0सा0 संख्या 02 व 03 के मध्य बेचान किया गया हैं, वह विधिक हैं। सायलान का कभी भी उस जमीन पर कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। सायलान को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं होती हैं। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में प्रतीत नहीं होता हैं। राजस्व अभिलेख से गै0सा0 संख्या 01 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 16/04/2015 को गै0सा0 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। वह अपास्त की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)